प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या: 99 / **2024** (अपील सूचना का अधिकार)</u>

Naman Soni Add. 26-27/3 New Fatehpura, Bali, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 27/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329150901242163 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर **"Please let me now which Rajasthan state government employee/officer is authorised for issuing income certificate"** सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2932658697 दिनांक 02.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/99/24/946–47 दिनांक 02.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सूअ/2005/24/2542 दिनांक 27.08.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ऑनलाईन आर.टी.आई पोर्टल पर कार्यालय हाजा में पदस्थापित पूर्व उपखण्ड अधिकारी श्री रमेश चन्द्र बहेड़िया एवं वर्तमान अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता दोनो की आई.डी. मैप होने से वर्तमान अधिकारी ही एस. एस.ओ. आई.डी. पर कोई आवेदन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उक्त तथ्य सामने आने पर समस्या के निवारण हेतु श्रीमान के कार्यालय में सम्पर्क करने पर आर.टी.आई. हेल्प डेस्क से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके उपरान्त आर.टी.आई. हेल्पडेस्ट को मेल किया गया है परन्तु समाधान नहीं हो पाया है। इस कारण उक्त प्रार्थी को समय से सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान के कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम अपील में वर्णित सूचना **"Please let me now which Rajasthan state government employee/officer is authorised for issuing income certificate"** कार्यालय हाजा से संबंधित नहीं है। अतः उक्त अपील निरस्त योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 24.06.2024 को ऑनलाईन आवेदन किया गया। प्रत्यर्थी का कथन है कि ऑनलाईन आर.टी. आई पोर्टल पर दो लोक सूचना अधिकारीयों की आई.डी. मैप होने की वजह से अपीलार्थी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर